संलग्नक - 1

रजि० 10852 पत्रावली सं०-1 (जी०-38878 दिनांक 03-03-06

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1434 **20**~~05~~ **20**06

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्वयं सेवा समिति ग्राम-तुर्री बाजार जंगल औराही तहसील-सदर जनपद गोरखपुर।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 2/3/2011 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक तीन मार्च दो हजार छः (2006) को

मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

03-03-06

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

[illegible] फार्म [illegible]-23.9.2004-(1350)-50,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

श्री सन्तोष कुमार यादव /प्रबन्धक/सचिव

संख्या–2236 / सत्तर–6 / 2008–2(379) / 2008

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2008

विषयः– नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम की स्थापना / संचालन हेतु क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0 / सम्बद्धता / 01(एक) / 2008 / 1111, दिनांक 10.06.2008 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, देवगांव, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी हैः–

(1) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी;

(2) उक्त पाठ्यक्रम राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारंभ नहीं की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी , जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

(4) उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुयी वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

(5) उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

Fax.: (05452) 252244, 25234
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता /2015/ 1110
दिनांक : 10-05-2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय,
देवगॉव, आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक–28 अप्रैल 2015 के कार्यसूची संख्या–08 पर लिये गये निर्णय के आलोक में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, देवगॉव, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक–01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन/एन.सी.टी.ई. जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आबंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि जॉच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जॉच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जॉच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन निधि एल0आई0सी0 बिल्डिंग अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302005 (राजस्थान)
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव